

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 82/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर
बनाम

.....प्रार्थी

मैसर्स कृष्णा टी स्टॉल

नागफणी, अजमेर

(श्री जानू पुत्र श्री परसराम निवासी नागफणी, अजमेर)

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक 13.2.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स कृष्णा टी स्टॉल नागफणी, अजमेर पर पहुँचे दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री लक्ष्मण कार्मिक मैसर्स एस.के.एम एजेन्सी वैशाली नगर अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द्व किया गया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	675118	BPC	15.8	26	10-2	Domestic Cylinder

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा दो घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई हेतु निवेदन किए जाने पर सुना गया।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.2.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर